न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 20 / 2010

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, (भूमिधारी), दौसा ..प्रार्थी

बनाम

नाथी पत्नी कन्हैयालाल जाति बैरवा निवासी काली पहाडी तहसील दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति–1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार
2. श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 07.08.2018

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को **ग्राम काली पहाडी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 / 11 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीया को किया गया। अप्रार्थीया द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि अप्रार्थी को दिनांक 28.06.2002 को **ग्राम काली पहाडी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 / 11 रकबा 0.25 है0 आवण्टित की गई थी। अप्रार्थी का आवंटन दिनांक से अपील / प्रा0 पत्र 14 (4) प्रस्तुत करने की दिनांक तक कब्जा नहीं रहा न ही आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त की है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी प्रार्थना पत्र 14 (4) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात की पेश की गई हैं आवंटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) की शर्तो की पालना नहीं की है। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस में दलील है कि आवंटन नियमों के अनुसार जब से प्रार्थीया को भूमि खसरा नंबर 1967 / 11 रकबा 0.25 एयर का कब्जा सॅभलाया, है तब से काश्त करती आ रही है। वर्तमान जमाबंदी में खातेदार दर्ज है व दिनांक 24.01.2017 की खसरा गिरदावरी संवत 2071 से 2074 तक प्रार्थीया द्वारा काश्त करना सम्पूर्ण भूमि पर बताया है। प्रार्थीया ने ढॉचा की फसल की है, जो खसरा गिरदावरी में अंकित है। हल्का पटवारी ने प्रार्थीया के खिलाफ दुर्भावना रखने वाले लोगों से मिलीभगत करके झूॅठी कार्यवाही की है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए आवंटन बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीया द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीया को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को **ग्राम काली पहाडी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1967 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन किया गया। तहसीलदार दौसा द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थीया के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र 14 (4) पेश किया गया गया है। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई होना तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज होना व आवंटन हुए लगभग 16 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज होना अपने प्रा0 पत्र व वरवक्त बहस में बताया है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीया द्वारा कोई उपयोग व उपभोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नामान्तरकरण की प्रति एवं खसरा गिरदावरी संवत 2063–2066 पेश की गई है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में आवंटित भूमि पडत बताई गई है। इससे यह तो कतई स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन भूमि का आवंटन के पश्चात कोई उपयोग नहीं किया गया। भू–आवंटन समिति द्वारा दिनांक 28.06.2002 को आवंटन किया गया। आवंटन नियमों एवं शर्तो के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात का कब्जाकाश्त अथवा फसल किये जाने का प्रमाण पेश नहीं किया गया। अप्रार्थीया द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2067–70, 2071–74 पेश की गई है, जो आवंटन के काफी समय बाद की है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी का आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त रहा है। आवंटन नियमों एवं शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का लगातार कब्जा होने की सूरत में ही गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। इस प्रकार आवंटी द्वारा इस प्रकरण में संवत 2067 से पूर्व के कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। प्रार्थीया द्वारा मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु भी वरवक्त बहस आवेदन–पत्र पेश किया गया था किंतु ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में मौका कमिश्नर नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्व–स्पष्ट है इसलिए प्रस्तुत प्रा0 पत्र में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीया द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीया के पक्ष में किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 07 अगस्त, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official